इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2011—आषाढ़ 29, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. 16801-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2011 को पुर: स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०११

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (दो) में, शब्द "द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर, शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग एक में विनिर्दिष्ट" स्थापित किए जाएं.

द्वितीय अनुसूची का स्थापन. ३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"द्वितीय अनुसूची

भाग एक

[धारा २ (दो) तथा ४ (सत्रह) (एक) देखिए]

अनुक्रमांक (१)	विश्वविद्यालय का नाम (२)	मुख्यालय (३)	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र) (४)
१.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर एवं देवास.
२.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर एवं छिंदवाड़ा.
३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, झाबुआ, धार, खरगौन (पश्चिमी निमाड़), खण्डवा (पूर्वी निमाड़), अलीराजपुर, बुरहानपुर एवं बड़वानी.
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर एवं अशोकनगर.
५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, डिण्डोरी, अनूपपुर, उमरिया एवं सिंगरौली.
६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा एवं बैतूल.

भाग दो

[धारा ४ (सत्रह) (दो) देखिए]

अनुक्रमांक (१)	विश्वविद्यालय का नाम (२)	मुख्यालय (३)	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र) (४)
१.	महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना एवं दमोह.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, छिन्दवाड़ा तथा दमोह जिलों पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा २ (दो) के अधीन स्थापित किया गया था. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (२००९ का २५) के अधिनियमित हो जाने पर डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में संपरिवर्तित हो गया है. राज्य सरकार ने अब ''महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय'' के नाम से छतरपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना तथा दमोह जिलों में राज्य सरकार के स्वामित्व और उसके द्वारा नियंत्रित महाविद्यालयों पर होगी. अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा २ तथा द्वितीय अनुसूची में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल : **लक्ष्मीकांत शर्मा**
तारीख १७ जुलाई, २०११. भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०११ द्वारा महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर की स्थापना में विद्यमान उपबंधों की अपेक्षा हेतु पदों के सृजन एवं अधोसंरचना पर रुपये ५ करोड़ का आवर्ती एवं रुपये ८० करोड़ का अनावर्ती व्यय, राज्य की संचित निधि पर आना संभावित है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.